न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2020-00205Ju2020-91 Babusingh etc Vs Dhanraj etc

1. बाबूसिंह पुत्र श्री बदनसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र श्री बदनसिंह
3. अमरसिंह पुत्र श्री बदनसिंह
4. गोविंदसिंह पुत्र श्री बदनसिंह
5. करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
6. सुप्यार कंवर पत्नी श्री भंवरसिंह
7. प्रेमसिंह पुत्र श्री अर्जूनसिंह
8. धनसिंह पुत्र श्री अर्जूनसिंह सभी जातियान् राजपूत, निवासगण- जसनाथ नगर, किंजरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धनराज पुत्र श्री झूमरराम, जाति जाट, निवासी- देराथल कल्लां, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
2. कानाराम पुत्र श्री डालूराम जाति जाट, निवासी- खींवसर, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 11 सितंबर 2019 राजस्व वाद संख्या 122/2014 धनराज बनाम बाबूसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 3

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2014 धनराज बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाबूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 19 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का माफ किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम जसनाथ नगर में आई हुई है, जिसके खसरा नंबर 63, 63/1, 64, 69, 70 व 70/2 कुल रकबा 163.14 बीघा ग्राम जसनाथ नगर पटवार क्षेत्र किंजरी, भू-अभिलेख निरीक्षक औसियां, तहसील औसियां जिला जोधपुर है। उक्त सहखातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा अविभाजित है। संयुक्त रूप से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। बंटवाड़ा सहखातेदारों की सहमति से करना था, मगर हुआ नहीं। बदनसिंह की पत्नी श्रीमती सुगन कंवर को अपने 1/4 हिस्से का बेचान करना था, जो दिनांक 01.04.2014 को रेस्पोडेंट संख्या एक व दो बेचाननामें में विशिष्ट हिस्से का उल्लेख करते हुए कर दिया जो बिना विभाजन किया ही नहीं जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो को अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। रेस्पोडेंट संख्या एक ने वाद बाबत बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किये गये। अपीलांट के पास कोई सम्मन नही आये। सम्मन रिपोर्ट कि घर पर कोई नही मिला और चस्पानगी कर दी, जिसको पर्याप्त तामील मानकर इकतरफा कार्यवाही कर दी। अन्य प्रतिवादी ने जवाब पेश नहीं करना चाहा। पत्रावली बिना तनकियात बनाये ही साक्ष्य वादी में रख दी। वादी ने शपथ-पत्र पेश कर दिया, मगर जिरह नहीं हुई, इसके बावजूद भी दिनांक 11 सितंबर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का कानूनी परिप्रेक्ष्य में अवलोकन न कर आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण पर न्यायालय श्री द्वारा जारी सम्मन की तामील ही नही हुयी, इसलिए वाद की जानकारी नहीं हो सकती। अन्यथा अपीलांट तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय में उपस्थित हो जाते। प्रथम बार न्यायालय में सम्मन जारी हुए जिन पर रिपोर्ट है कि घर पर कोई नहीं मिला, जिसका तात्पर्य हुआ कि सम्मन अदम तामील थे जो वापिस लौटाने थे। इसके बावजूद भी न्यायालय आदेशिका में इस प्रकार उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या एक ता आठ के नोटिस प्राप्त हुए जिस पर चस्पानगी होना स्पष्ट है और तामील मान की जो विधि विरुद्ध है। कानूनन इस प्रकार की तामील पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है। इसके उपरांत भी पर्याप्त तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलांट न्याय से वंचित हो गये, साक्ष्य सुनवाई का अवसर ही प्राप्त नही हुआ, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो आज्ञापक है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विभाजन नहीं हुआ है। यह विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि बिना विभाजन कोई भी सह खातेदार स्वयं के हिस्से का बेचान कर सकता है, लेकिन विशिष्ट बेचान नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी कर देता है जो नल एण्ड वाईड है, जिसे मानने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। श्रीमती सुगन कंवर पत्नी श्री बदनसिंह ने अपने 1/4 हिस्से का बेचान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या एक व दो को दिनांक 01.08.2014 को विशिष्ट भू-भाग का बेचान कर दिया जो नल एण्ड वॉईड है तथा कानूनन कोई औचित्य नहीं है और न ही परिवार वालों ने सुगन कंवर को सहमति दी। सुगन कंवर ने चुपचाप ही बेचान कर दिया ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे कानूनी बिंदु को कतई गौर किये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। सुगन कंवर ने बेचाननामें के पृष्ठ संख्या 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि बेचान सुदा जमीन का कब्जा मौके पर वाकई भौतिक रूप से आप क्रेता पक्ष को सुपुर्द कर दिया है जो गलत है। क्योंकि वास्तव में क्रेता पक्ष को बेचान की गई भूमि का कब्जा आज दिन तक भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार बेचाननामें का कथन विरोधाभासी हो जाता है, कब्जा प्राप्त करना महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु को नही देखा और आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या दो की तामील होने के पश्चात इसकी ओर से कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया। तात्पर्य है कि इसकी ओर से जवाब दावा भी पेश नहीं किया और तनकी नही बनाई तथा सीधी साक्ष्य वादी में रख दी। साक्ष्य वादी में रेस्पोडेंट संख्या एक ने शपथ-पत्र पेश किया परन्तु जिरह नहीं की गयी। इसके पश्चात आनन-फानन में आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि वकील पक्षकारान् ने प्राथमिक डिक्री जारी करने की अपनी सहमति दी गयी और वादी व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने की सहमति दी गयी जो विधिविरुद्ध है। कानूनन सहमति तो सहखातेदारों की होनी चाहिए थी जो दी ही नहीं गयी। इसलिए सहमति माना जाना सम्भव नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि सभी कार्यवाही without due process of law की गयी है, जिसका कानूनन कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार पारित किया गया आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त खसरान् की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि बाबत एक वाद सुंदर कंवर ने अधीनस्थ न्यायालय में बाबत बंटवाड़ा प्रस्तुत कर रखा है, जिसके वाद संख्या 126/2014 बअनवान सुन्दर कंवर बनाम धनराज व अन्य है जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपील पेशी के समय आगामी पेशी दिनांक 05.10.2020 मुकर्रर थी, जब न्यायालय के समक्ष पहले से ही बंटवाड़े का दावा विचाराधीन था तो ऐसी स्थिति में समान बिंदु व पक्षकार के आधार पर पश्चातवर्ती वाद धारा 10 सीपीसी के तहत कार्यवाही स्थगित हो जाती है और पूर्व वाद में निर्णय पारित करना होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर न होने से व अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय पर आदेश perverse Arbitrary व Capricious होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के विवादग्रस्त भूमि में निहित हक-हिस्सों के विपरीत पारित किये जाने से भी अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के सम्मन अपीलांट को कभी भी प्राप्त नहीं हुए, इसलिए अपीलांट्स को वाद की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही दिनांक 05.08.2020 को हल्का पटवारी बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर आये, तब उन्होने से सारी बाते बतायी तब वाद बाबत जानकारी हुई। इसके पश्चात नकलों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 10.08.2020 को नकले प्राप्त हुई, जब सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की तथा देरी का पर्याप्त कारण है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुई देरी को माफ किया जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 को अपास्त फरमाया जावें।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में सुगन कंवर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग की भूमि के रेस्पोडेंट संख्या एक व दो पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार है। वक्त खरीद से रेस्पोडेंट विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है जो वाद पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। वादी/रेस्पो. वादग्रस्त भूमि में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा कर विभाजन करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, फिर भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तूति का कोई विधिसम्मत एवं तर्कसंगत कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील हेतु भेजे गये सम्मन आसामी के घर पर नहीं मिलने एवं फर्द आबाद मकान पर चस्पानगी के साथ प्राप्त हुए। नियमानुसार सम्मन रिपोर्ट पर **दो मौतबिरान के हस्ताक्षर होने चाहिए, किंतु उक्त सभी सम्मन रिपोर्ट पर केवल एक मौतबिरान सवाईसिंह नाम के व्यक्ति के है।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार सम्मन तामील नहीं होने के बावजूद भी पर्याप्त तामील मानकर अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2068-2072 ग्राम जसनाथनगर पटवार क्षेत्र किंजरी, तहसील औसियां के नवीन खाता संख्या 46 एवं पुराना खाता संख्या 92 के मुताबिक विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 63 रकबा 77.02 बीघा, खसरा नं. 63/1 रकबा 1.10 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 64 रकबा 20.09 बीघा, खसरा नं. 69 रकबा 22.03 बीघा, खसरा नं. 70 रकबा 26.00 बीघा एवं खसरा नं. 70/2 रकबा 16.09 बीघा बाबुसिंह, मोहनसिंह, अमरसिंह, गोविंदसिंह पिता बदनसिंह, करणसिंह पुत्र भंवरसिंह, सुप्यारकंवर पत्नी भंवरसिंह, प्रेमसिंह, धनसिंह पिता अर्जूनसिंह, जाति राजपूत,धनराज पिता झूमरराम, कानाराम पिता डालूराम जाति जाट के नाम से दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती रूप से दर्ज है। किसी खातेदार का हिस्सा खुला हुआ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत तनकीयात ही कायम नहीं की गई तथा न ही वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 9 की सहमति के आधार पर विवादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 (दो क्रेतागण) का 1/4 हिस्सा घोषित करने की प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं महज कयासों पर आधारित होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप अपीलांट्स पर सम्मनों की विधिवत तामील किये बिना, उन्हें अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2014 धनराज बनाम बाबूसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 सितंबर 2019 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में बाद अपीलांट के जवाब का अवसर देकर, तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर